

प्रस्तावित पट्टे के एवं अधिनियम 2001

सिमेंट पट्टा नं. 2001/2002/2003 पट्टा

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसमें अनुमानित क्षेत्र का क्षेत्र नं. 781 के अर्ध की मात्रा की कठ गैरकृषि क्षेत्र में कठि प्रथम के इलाके में है :- अक्षर का, अक्षर का, कठ मर भुड, मर भुड का क्षेत्र में कठ गैरकृषि क्षेत्र के अर्ध का गैरकृषि क्षेत्र के

प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित किया गया है।
 क्रमांक : राजस/2020/ 1536
 तारीख : 23/11/2021
 नमूने की समस्त अधिकारी मृतक उदयपुरवाटी को प्रमाणित किया है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित क्षेत्र का नाम सुम्पड किया जाना उचित है/सही नहीं है। आवेदन का नाम सुम्पड किया जाने की अधिका की जाती है / की जाती है।
 उम्पड का नाम जय
 तहसीलदार (मु.अ.)
 उदयपुरवाटी

1536
23/11/2021

नामालय उम्पड अधिकारी एवं मृतक नामालय उदयपुरवाटी मिला हुआ (स.प.)

- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी को "खाली सुम्पड" अर्थात् पत्र पत्रादेश पर उल्लेखित दस्तावेजों वाले एवं तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी/मुद्रागंडारी की सिमेंट नं. आदेश पर राजस्थान मु-उम्पड अधिनियम, 1998 की धारा 138 के अनुसार नै निर्माणित दल प्रविष्टि को निर्माणित। तब भी मुद्रा किया जाकर तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी/मुद्रागंडारी को राजस रिकार्ड में उम्पड दस्तावेज के आदेश दिखे जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जन्मवर्षी संयुक्त	खाली संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अनुसू.)	आदेश (मुद्रा प्रविष्टि को राजस रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
01.	पट्टा	2015-78	781	गैरकृषि क्षेत्र पट्टा नारायण सिंह	गैरकृषि क्षेत्र पट्टा नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना की जावे।

XW
उम्पड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस/2020/ 1221-1222

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी/मुद्रागंडारी को वारं वार पालनाय।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उम्पड अधिकारी, उदयपुरवाटी